प्रेस विज्ञप्ति

20 अप्रैल, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, इंचार्ज कम्युनिकेशंस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने आज प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी कियाः–

''आज भारत के लगभग 40 फीसदी लोग कृषि और पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत के 10 राज्यों में 2,55,000 गांवों के 33 करोड़ से अधिक लोग भयंकर सूखे से पीड़ित हैं। केवल बिहार, उत्तराखंड और गुजरात में ही 300 जिलों में 3,00,000 गांवों के लगभग 48.27 करोड़ लोग कृषि और पानी के संकट से ग्रसित हैं। यह आंकड़ा भारत के कुल 688 जिलों के 6,38,000 गांवों के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है।

पेयजल और सिंचाई का संकट काफी अधिक फैल गया है। भारत के 91 सबसे बड़े भंडारों के पास उनकी वॉटर शॉर्टेज़ क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत यानि लगभग 158 बीसीएम की कुल क्षमता में से 36 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) पानी ही बचा रह गया है। दक्षिण और पश्चिमी भारत की स्थिति और ज्यादा खराब है। दक्षिण भारत में आन्ध्र/तेलंगाना/कर्नाटक/केरला/तमिलनाडु राज्यों में सामान्य वाटर स्टोरेज क्षमता का मुश्किल से 15 फीसदी पानी ही बचा रहा गया है। महाराष्ट्र/गुजरात में 27 जलभंडारों में से सामान्य वाटर स्टोरेज क्षमता का मुश्किल से 15 फीसदी पानी ही बचा रह गया है। असल में महाराष्ट्र के जलभंडारों में पानी की क्षमता उनकी कुल क्षमता की 10 से 14 फीसदी ही बची रह गई है।

मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा को सोचे–समझे तरीके से कमजोर करने के बाद गांवों में निराशा कई गुना बढ़ गई है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2015–16 में इन 10 सूखा–प्रभावित राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा में कवर किए गए केवल 1.8 फीसदी घरों को ही 150 दिनों का काम मिला। साल 2016–17 में भी मोदी सरकार ने राज्यों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के तहत 3.15 बिलियन व्यक्ति दिवसों की मांग के बावजूद मनरेगा की मांग में 980 मिलियन व्यक्ति दिवसों की कमी कर दी और अनुमोदित श्रम बजट में 2.17 बिलियन व्यक्ति दिवसों की कटौती कर दी। महात्मा गांधी नरेगा की मांग के प्रति मोदी सरकार की निष्ठुरता इस बात से और भी साफ हो जाती है कि 2015–16 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत किए गए काम के 12,230 करोड़ रु. का मुआवजा विलंब के साथ अप्रैल, 2016 में जारी किया गया।

मोदी सरकार ने ग्रामीण पेयजल बजट को भी 2014–15 में 9190 करोड़ रु. से घटाकर 2016–17 में 5000 करोड़ रु. कर दिया।

ग्रामीण संकट का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2014–15 में यूपीए सरकार के दौरान 3.7 प्रतिशत की कृषि वृद्धि दर आज घटकर 0.2 प्रतिशत ही रह गई है।

यहां तक कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने की दर भी बढ़कर प्रतिदिन औसतन 52 तक पहुंच गई है।

इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने बड़ी संख्या में पलायन किया, किसानों ने आत्महत्याएं कीं, पेयजल की राशनिंग की गई, खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और व्यापक स्तर पर ग्रामीण संकट छा गया। इसके बावजूद मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी और इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, जो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दिन–पर–दिन निर्देश जारी कर रहा है। इससे साफ हो जाता है कि मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह पल्ला झाड़ रखा था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और सरकार अपनी नींद से जागकर भारत की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें और निम्नलिखित कार्य तत्काल प्रारंभ करें :–

1. देश के 13 राज्यों एवं 300 से अधिक जिलों में सभी 3,00,000 गांवों में महात्मा गांधी नरेगा का काम तत्काल प्रारंभ किया जाए; और
2. केंद्र सरकार/राज्य सरकारें सभी 13 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिना देर किए तत्काल लागू करें और भारत सरकार अनाज उपलब्ध कराने के साथ सभी जरूरी प्रावधान प्रदान करे; और
3. मिड–डे आहार योजना के लिए विशेष प्रावधान और आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए; और
4. पेयजल की प्रतिदिन की आपूर्ति के लिए आपातकालीन प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं; और
5. सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड) एवं इस तरह की अन्य योजनाओं से तत्काल पैसा दिया जाए; और
6. प्रधानमंत्री सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं और संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए जरूरी हर सहायता प्रदान करें।

हम प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर उनका 'राजधर्म' याद दिलाना चाहते हैं।